AGRICULTURE RESEARCH SUB STATION ,TABIJI, AJMER
Directorate of Research
(Sri Karan Narendra Agriculture university, jobner-jaipur)

DR. DINESH ARORA
OFFICER INCHARGE

Tel. no. 0145-2940182

No. F.29/SKNAU/ARSS/TABIJI-AJMER/ 2024 / 102-106 **Dated: 10. 07. 2024**

खुली निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि अनुसंधान उप केन्द्र तबीजी अजमेर पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में एक वर्ष के लिए निम्न कार्यो की आवश्यकतानुसार आपूर्ति के लिए इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं/फार्मो/सेवाप्रदाता संस्थाओं/कृषकों जिनके पास श्रमिक आपूर्ति लाईसेन्स हो से दिनांक 18.07.2024 को निर्धारित प्रपत्र में दोपहर 2:00 बजे तक सीलबन्द निविदाएँ आमन्त्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं निविदा की सभी शर्ते कार्यालय दिवस में निविदा शुल्क रू 500/- officer incharge ARSS Tabiji Ajmer के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट व बैंकर चैक द्वारा ही भुगतान कर दिनांक 18.07.2024 **को प्रातः 11:00 बजे** तक प्राप्त किये जा सकते है अथवा **www.sknau.ac.in** वं **http://sppp.rajasthan.gov.in** से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते है। निविदा प्रपत्र दिनांक 18.07.2024 **को दोपहर 2:00 बजे तक जमा होगें।** प्राप्त निविदाऐं दिनांक 19.07.2024 को प्रातः 11:30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष RARI Durgapura Jaipur मे कमेटी द्वारा खोली जावेगी।निविदा को सम्पूर्ण अथवा किसी भाग को बिना किसी कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

क्र. सं.	कार्य विवरण	कार्य अवधि	अनुमानित राशि (रू)	2 प्रतिशत धरोहर राशि
1	फार्म पर विभिन्न कृषि क्रियाओं के संम्पादन, कृषि प्रायोजित एवं कृषि से संबंधित अन्य सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति हेतु	एक वर्ष	950000	19000

प्रभारी अधिकारी
कृषि अनुसंधान उप केन्द्र
Officer Incharge
Agri.Res.Sub Station
Tabiji, Ajmer

No. F. 29/sknau/ARSS/Tabiji-Ajm/2024 /102-106 **Dated:** 10.07.20224

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
2. श्रीमान निदेशक महोदय, रारी दुर्गापुरा जयपुर ,श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भेजकर लेख है कि टेप कमेटी के कनवीनर व सदस्यो को दिनांक 19.07.2024 को RARI Durgapura Jaipur के कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करने का श्रम करावें ।
3. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भेजकर लेख है कि आप स्वयं अथवा आपके नामित सदस्य को दिनांक 19.07.2024 को RARI Durgapura Jaipur के कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करने का श्रम करावें ।
4. कमेटी कन्वीनर/सदस्य/लेखाशाखा/...।
5. प्रभारी, सिमका श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रेषित कर लेख है कि विश्वविद्यालय वेबसाइट www.sknau.ac.in व http://sppp.rajasthan.gov.in पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।
6. मैसर्स...।
7. कृषि अनुसंधान उप केन्द्र तबीजी अजमेर के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
8. रक्षित फाइल

प्रभारी अधिकारी
कृषि अनुसंधान उप केन्द्र
Officer Incharge
Agri.Res.Sub Station
Tabiji, Ajmer

AGRICULTURE RESEARCH SUB STATION TABIJI, AJMER
Directorate of Research
(Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner-Jaipur)

DR. DINESH ARORA
OFFICER INCHARGE

Tel. NO. 0145-2940182

No. F. 29/SKNAU/ARSS/TABIJI-AJM./ 2024/ 102-106

Dated: 10-07-2024

कृषि अनुसंधान उप केन्द्र तबीजी अजमेर पर कृषि कार्य हेतु सभी श्रेणी के श्रमिकों की आपूर्ति खुली निविदा

कृषि अनुसंधान उप केन्द्र तबीजी अजमेर पर विभिन्न कृषि क्रियाओं के संम्पादन, कृषि प्रायोजित एवं कृषि से संबंधित अन्य सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति हेतु वार्षिक दर संविदा हेतु प्रतिष्ठित एवं अनुभवी पंजीकृत सेवा प्रदाता संस्थाओं/फर्मो से खुली निविदाऐं निम्न विवरणानुसार आंमत्रित की जाती है:-

क्र. सं	विवरण व अवधि	अनुमानित राशि (लाखों में)	बोली प्रतिभूति (Bid Security)	निविदा शुल्क	निविदा बेचने की तिथि व समय	निविदा प्रपत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय	निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि एवं समय
1.	कृषि अनुसंधान उप केन्द्र तबीजी अजमेर पर विभिन्न कृषि क्रियाओं के संम्पादन, कृषि प्रायोजित एवं कृषि से संबंधित अन्य सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति हेतु खुली निविदा (एक वर्ष)	9.50	19000/-	500/-	11.07.024 प्रातः 11:00 बजे से 18.07. 2024 को प्रातः 11:00 बजे तक	18.07. 2024 दोपहर 2:00 बजे तक	19.07.2024 प्रातः 11:30 बजे RARI Durgapura Jaipur

Officer Incharge
Agri.Res.Sub Station
Tabiji, Ajmer

निविदा प्रपत्र प्रथम

कृषि अनुसंधान उप केन्द्र तबीजी अजमेर पर कृषि कार्य हेतु सभी श्रेणी के श्रमिकों की आपूर्ति निविदा

निविदा कमांक	F.29/SKNAU/ARSS/Tabiji-Ajm/2024/102-106 dt 10-07-2024
बिड प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक एव समय	18.07.2024 दोपहर 2.00 बजे तक
निविदा प्रपत्र शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि के **D.D./B.C.: के पक्ष में**	Officer Incharge ARSS Tabiji Ajmer

निविदा प्रपत्र तथा शुल्क बोली प्रतिभूति (Bid Security) के डी.डी./बैंकर चैक उपर्युक्त नाम से Officer Incharge ARSS Tabiji Ajmer के कार्यालय में दिनांक 18.07.2024 समय दोपहर 2:00 बजे तक भौतिक रुप से प्रस्तुत करने होगें।

कार्य की अनुमानित लागत -9.50 लाख
निविदा जमा कराने की अन्तिम तिथि -18.07.2024 समय दोपहर 2:00 बजे प्रात: तक
निविदा प्रपत्र शुल्क - 500 रुपये
कार्य अवधि - कार्यादेश से एक वर्ष तक

कृषि अनुसंधान उप केन्द्र तबीजी अजमेर पर विभिन्न कृषि क्रियाओं के संम्पादन, कृषि प्रायोजित एवं कृषि से संबंधित अन्य सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति हेतु खुली निविदा

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम:...
2. डाक का पता एवं टेलीफोन नं. मोबाईल व ई-मेल सहित:-...
3. कार्यालय का पता, दूरभाष नम्बर, सम्पर्क सूत्र व्यक्ति का नाम एवं मोबाइल नम्बर ....

....

....

....जिसको संबोधित किया गया

-) प्रभारी अधिकारी कृषि अनुसंधान उप केन्द्र तबीजी अजमेर

निविदा सूचना संदर्भ **No. F. 29/SKNAU/ARSS/TABIJI-AJM./ 2024/102-106** **Dt. 10-07-2024**

4. बोली प्रतिभूति राशि 19000/-रुपये एवं निविदा शुल्क राशि 500.00 का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक Officer Incharge ARSS Tabiji Ajmer के पक्ष में देयसंलग्न करना होगा।
हम प्रभारी अधिकारी कृषि अनुसंधान उप केन्द्र तबीजी अजमेर द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या **No. . F. 29/ SKNAU/ ARSS/ TABIJI-AJM./ 2024/102-106** **Dt. 10-07 -2024** में वर्णित शर्तो से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।

Officer Incharge
Agri.Res.Sub Station
Tabiji, Ajmer

5. सभी कार्यो के लिए केन्द्र की विभिन्न इकाईयों की आवश्यकतानुसार आपूर्ति मांग के 24 घंटें की अवधि में कर दी जाएगी। केन्द्र द्वारा आवश्यकतानुसार सेवा इकाई में कमी या वृद्वि की जा सकती है।
6. केन्द्र के अंतर्गत कार्यरत इकाईयों हेतु सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति की कार्य हेतु प्रपत्र 'ब' में दी गई दरें एक वर्ष के लिए हैं जिसे RTTP एक्ट एवं नियम के अनुसार बढाया जा सकता है।
7. निविदा सूचना में अंकित बोली प्रतिभूति (Bid Security) के रुप में बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक संख्या ....दिनांक..............................राशि..................भौतिक रुप से प्रभारी अधिकारी कृषि अनुसंधान उप केन्द्र तबीजी अजमेर के कार्यालय में प्रस्तुत करते हुए निविदा दिनांक: 18.07.2024 दोपहर 2:00 बजे तक तकनीकी वेबसाईट www.sknau.ac.ino http://sppp.rajasthan.gov.inपर download करके पूर्ण निविदा कार्यालय में जमा कराई जा सकती है।
8. निविदा प्रपत्र के साथ जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा जीएसटी चुकता प्रमाण पत्र संलग्न है।
9. टर्न ओवर प्रमाण पत्र (प्रपत्र 'स') संलग्न है।
10. पूर्व में समान प्रवृति के कार्य के लिए किसी न्यायलय द्वारा दण्डित नही होने का प्रमाण पत्र (प्रपत्र 'द') संलग्न है।
11. निविदा में संलग्न दस्तावेजात पर क्र.सं. अंकित करनी होगी ।
12. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग सील बंद लिफाफों में प्रस्तुत करनी होगी ।
13. निविदा प्रपत्र के साथ FORM NO. 1, Memorandum of Appeal संलग्न है। (प्रपत्र 'य')
14. निविदा प्रपत्र के साथ कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न है।
15. बोलीदाता/संवेदक विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत करेगा :
16. उपरोक्त सभी संलग्नक तकनीकी निविदा के साथ प्रस्तुत करने होंगें।

Officer Incharge
Agri.Res.Sub Station
Tabiji, Ajmer

कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, तबीजी, अजमेर

तकनीकी निविदा प्रपत्र 'अ'

क्र.सं.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्न क्रमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम,1970				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4	वस्तु एवं जीएसटी **(GST)**				
5	आयकर (पैन नम्बर)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 या इण्डिन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के अंतर्गत या इण्डिन कम्पनी एक्ट, 1956 के अंतर्गत				

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

Officer Incharge
Agri.Res.Sub Station
Tabiji, Ajmer

कृषि अनुसंधान उप केन्द्र तबीजी अजमेर पर कृषि कार्य हेतु सभी श्रेणी के श्रमिकों की आपूर्ति निविदा

परिचय :-कृषि अनुसंधान उप केन्द्र तबीजी अजमेर श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय एवं राजस्थान सरकार द्वारा वित्त पोषित सरकारी संस्था है जिसका उद्धेश्य कृषि पाठन, खोज व प्रसार का कार्य करना है। केन्द्र के फार्मों एवं केन्द्र परिसर पर प्रायोगिक एवं कृषि कार्य सम्पन्न करवाने हैं, केन्द्र की इकाई द्वारा वर्ष भर में विभिन्न कार्यों को सम्पादन करवाने हेतु निम्नलिखित श्रमिकों की आवश्यकता पडेगी।

कार्य का नाम
कृषि अनुसंधान उप केन्द्र तबीजी अजमेर पर विभिन्न कृषि क्रियाओं के संम्पादन, कृषि प्रायोजित एवं कृषि से संबंधित अन्य सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति हेतु खुली निविदा

उपयुक्त कार्यों हेतु निविदाऐं आमंत्रित की जाती है। ऐसी सेवा प्रदाता संस्थाओं/फर्म/कम्पनी/सोसायटी जिन्हें निविदा में वर्णित श्रमिकों की आपूर्ति का अनुभव हो, निविदा भर सकते हैं। निविदा प्रपत्र वेबसाइटwww.sknau.ac.info http://sppp.rajasthan.gov.in डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रुपये 500.00/-व बोली प्रतिभूति राशि ;(Bid Security) 19000/-जमा करानी होगी। निविदा दिनांक 18. 07.2024 दोपहर 2:00 बजे तक प्रभारी अधिकारी कृषि अनुसंधान उप केन्द्र तबीजी अजमेर के कार्यालय में जमा करवाना आवश्यक है।

आवेदन के लिए पात्रताः-

1. सशर्त निविदा स्वीकार नही की जावेगी।
2. निविदादाता सेवा प्रदाता फर्म/कम्पनी/सोसाइटी का विगत तीन वर्षो (2021-22,2022-23,2023-24)का औसत वार्षिक टर्न ऑवर हेतु वांछित प्रामाणिक दस्तावेज Balance Sheet/Profit and Loss A/Cआदि सी.ए. द्वारा प्रमाणित मय UDIN के अनिवार्य रुप से संलग्न **प्रपत्र 'स'**करें।

1. सेवा प्रदाता फर्म का राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत पंजीकरण होना अनिवार्य है।(कम से कम 50 श्रमिक प्रतिदिन ठेके पर उपलब्ध कराने का होना आवश्यक है)। पंजीकरण संख्या व उसका प्रमाण पत्र संलग्न करना जरुरी है।यदि श्री कर्ण नरेन्द्र कृषिविश्वविद्यालय जोबनेर के अंतर्गत उक्त अधिनियम का पंजीकरण नही है तो इस आशय का शपथ पत्र कायदिश मिलने पर पंजीकरण कराना होगा, तथा एक माह में प्रस्तुत करना होगा।

2. फर्म/कम्पनी द्वारा न्यूनतम एक सरकारी विभाग/उपक्रम में श्रमिक आपूर्ति का कार्यानुभव विगत 3 पूर्ण वित्तीय वर्ष में से एक वित्तिय वर्ष का होना अनिवार्य है। <u>संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र संस्थान प्रमुख द्वारा जारी हुआ, संलग्न करना अनिवार्य है।</u>
3. आवेदक को पंजीकृत कार्यालय/शाखा के पूर्ण पते,दूरभाष नम्बर,फैक्स नम्बर सहित होना अनिवार्य है।

Officer Incharge
Agri.Res.Sub Station
Tabiji, Ajmer

4. सेवा प्रदाता का राजस्थान में पंजीकृत कार्यालय होना अनिवार्य है।
5. सेवा प्रदाता को जीएसटी हेतु पंजीकृत होना अनिवार्य है। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न करें।
6. सेवा प्रदाता को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 योजनान्तर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है।
7. राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यक संस्थान अधिनियम, 1958 या इण्डिन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 या इण्डिन कम्पनी एक्ट, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है। पंजीकृत संख्या व उसका प्रमाण पत्र संलग्न करना जरुरी है।

B. आवेदन की विधि तथा बोली प्रतिभूति (Bid Security) जमा कराना।

बोली प्रतिभूति राशि(Bid Security) 19000/-जमा करानी होगी।निविदा प्रपत्र शुल्क की राशि 500.00/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक Officer Incharge ARSS Tabiji Ajmer के पक्ष में देय एवं भौतिक रुप से प्रभारी अधिकारी कृषि अनुसंधान उप केन्द्र तबीजी अजमेर में प्रस्तुत कर दिया है।

C. श्रमिक आपूर्ति एवं कृषि कार्य के लिए शर्ते

1. अगर ठेकेदार अपना निश्चित अवधि के बीच में छोडता है व श्रमिकों को भुगतान नही करता है या कार्य संतोषजनक नही करने पर उसको इस कार्यालय द्वारा नियमानुसार इस ठेके से हटाया जा सकता है तो उसके द्वारा जमा बोली प्रतिभूति एवं कार्य सम्पादन राशि जब्त कर ली जायेगी।
2. ठेकेदार को प्रत्येक दिन कुल श्रमिकों की मांग के अनुसार श्रमिक उपलब्ध कराने होगें अन्यथा श्रमिकों की कमी से होने वाली उपज हानि के बराबर भुगतान में से इस शास्ती (पैनेल्टी) की राशि को कम करके भुगतान देय होगा।
3. ठेकेदार द्वारा संस्थान में श्रमिकों को राजस्थान सरकार के द्वारा वर्तमान में निर्धारित दर से कम पर भुगतान नही होगा। यदि राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम दरें बढाई जाती है व सक्षम अधिकारी इसे अनुमोदित करता है तो ठेकेदार श्रमिकों को राजस्थान सरकार के द्वारा परिवर्तित निर्धारित दर के अनुसार अधिक दर का भुगतान करेगा व इसी परिवर्तित निर्धारित दर के अनुसार प्रभारी अधिकारी कृषि अनुसंधान उप केन्द्र तबीजी अजमेर के कार्यालय से ठेकेदार को श्रमिकों का भुगतान करना होगा। ठेकेदार अपने समस्त खर्च एवं लाभांश को मध्येनजर रखते हुए निविदा में विभिन्न कैटेगरी के श्रमिकों को उपलब्ध करवाने हेतु अपनी निर्धारित दरें दें।
4. सेवा उपभोग करने वाले संस्थान द्वारा ठेकेदार के श्रमिक बिलों के भुगतान में अगर किसी कारणवश देरी होती है तो भी श्रमिकों के समय पर भगुतान की समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की अपनी होगी। ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक भुगतान करना आवश्यक होगा । ठेके के अधीन कार्यरत श्रमिकों का भुगतान बैंक में ट्रांसफर करना होगा एवं भुगतान फार्म स्टाफ के सामने कराना होगा। इस बिन्दु को विशेष रुप से ध्यान में रख कर निविदा भरें।
5. श्रमिकों की प्रतिदिन कराई गई उपलब्धता की संख्या व विभाग में लगने वाले श्रमिकों के नाम की सूची संबंधित कार्यालय में हस्ताक्षर व फर्म की मौहर लगा कर देनी होगी। नियमानुसार ठेकेदार श्रमिक के तौर पर 20 वर्ष से कम व 60 वर्ष से ज्यादा आयु के व्यक्ति को कार्य पर नही लगाया जा सकता है। अगर किसी भी विभागीय स्टाफ को किसी

Officer Incharge
Agri.Res.Sub Station
Tabiji, Ajmer

भी कार्यरत श्रमिक की कार्यशैली एवं आचरण आदि पर संदेह होता है तो उस श्रमिक की पहचान ठेकेदार को बतानी होगी।

6. श्रमिकों को प्रत्येक माह के भुगतान की लिखित सूचना हस्ताक्षर सहित संस्थान को देनी होगी। उसके पश्चात् ही आगामी माह के बिल का भुगतान देय होगा।
7. ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाये गये श्रमिक द्वारा संस्था में किसी भी प्रकार की हानि पहुँचाता है तो उसका उत्तरदायित्व स्वयं ठेकेदार का होगा, नुकसान की वसूली का पूर्ण अधिकार प्रभारी अधिकारी कृषि अनुसंधान उप केन्द्र तबीजी अजमेर को ठेकेदार से होगा।
8. किसी भी प्राकृतिक कारणों से या आकस्मिक अवकाश घोषित होने पर अगर कुल उपलब्ध करवाये जाने वाले श्रमिकों की मांग में जिस दिन बदलाव की आवश्यकता होगी, उस दिन रात्रि 9 बजे तक ठेकेदार को इकाई प्रभारी या उनके प्रतिनिधि द्वारा सूचित कर दिया जावेगा, उसी के अनुसार ठेकेदार को श्रमिक उपलब्ध करवाने होगें।
9. ठेकेदार कार्यालय कार्य एवं अन्य कार्यो की महत्वता एवं गुणवत्ता अनुसार श्रमिक उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है तो संस्थान अपने स्तर पर श्रमिकों की व्यवस्था करवायेगा। ठेकेदार द्वारा समय पर पर्याप्त श्रमिक उपलब्ध नही करायेगा तो प्रभारी अधिकारी कृषि अनुसंधान उप केन्द्र तबीजी अजमेर अपने स्तर पर श्रमिकों की व्यवस्था करेगा व भुगतान राशि निर्धारित दर से अधिक होने पर उस अतिरिक्त अधिक राशि का भुगतान उस दिन श्रमिकों को देय होगा उस अतिरिक्त राशि का भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।
10. श्रमिकों को कृषि कार्य हेतु उपलब्ध करवाने बाबत इस कार्यलय द्वारा अग्रिम राशि देय नही होगी। कार्य की आवश्यकता को मध्येनजर रखते हुए श्रमिकों की उपलब्धता देय ठेके की अवधि **RTPPR** 2012 ए **RTPPR** 2013 एवं **GF&AR**में उल्लेखित प्रावधानुसार घटाई या बढाई जा सकेगी।
11. केन्द्र द्वारा फर्म को किसी भी प्रकार का अग्रिम देय नही होगा। इकाई प्रभारी श्रमिक से कोई भी कार्य करवा सकता है।
12. ठेकेदार द्वारा श्रमिकों की उपलब्धता मांग के अनुरुप नही करने एवं अन्य विवाद की स्थिति में 7 दिन के नोटिस पर ठेके दार का अनुबंध निरस्त किया जा सकता है तथा ऐसी स्थिति में उसकी समस्त अमानत राशि जब्त करने व अन्य सफल निविदाओं में से जिसकी दर न्यूनतम एवं उचित होगी, उसे ठेका देने का अधिकार प्रभारी अधिकारी कृषि अनुसंधान उप केन्द्र तबीजी अजमेर को होगा।
13. प्रभारी अधिकारी कृषि अनुसंधान उप केन्द्र तबीजी अजमेर न्यूनतम दरों पर ठेकेदार द्वारा श्रमिक उपलब्ध करवाने पर भी निविदा अनुमोदन के लिए बाध्य नही होगा।
14. न्यूनतम दर से साथ निविदा की दरों की व्यवहारिकता उसके पूर्व में किये गये कार्यों का अनुभव और उसके पंजीयन की प्रमाणिकता आदि को भी ध्यान में रखा जावेगा।
15. <u>दो या दो से अधिक निविदादाताओं के द्वारा दी गई कार्य दरों में अगर समानता होती है तो पिछले तीन वर्षों के औसत टर्नओवर के आधार पर</u> प्रभारी अधिकारी कृषि अनुसंधान उप केन्द्र तबीजी अजमेर<u> एवं माननीय कुलपति महोदय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर द्वारा किया गया निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।</u>
16. निविदादाता या उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति को कार्यालय समय में केन्द्र में उपस्थित रहना आवश्यक होगा। केन्द्र में प्रतिदिन चाहने वाले श्रमिक केन्द्र के सम्बंधित व्यक्तियों द्वारा सम्बंधित विभाग पर उपलब्ध रजिस्टर में दर्ज कार्य अनुसार निविदादाता या उसके द्वारा

Officer Incharge
Agri.Res.Sub Station
Tabiji, Ajmer

मनोनीत व्यक्ति श्रमिक उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होंगे व रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर व दिनांक अंकित करने होंगे।

17. यदि निविदादाता द्वारा समय पर श्रमिक उपलब्ध नही कराये गये तो कार्य की आवश्यकता को देखते हुए सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी उस कार्य को अपने स्तर पर ठेकेदार की दर से दोगुना तक श्रमिक लगाकर पूर्ण करा लेगें जिसका भुगतान निविदादाता द्वारा जमा अमानत राशि/ सामयीक बिल में से किया जायेगा तथा उतनी ही राशि केन्द्र उसकी अमानत राशि में से पैनल्टी के रुप में काटेगा। समय पर कार्य सम्पादन न कराने, श्रमिक उपलब्ध न कराने व निविदा शर्तों को न मानने पर निविदादाता को भविष्य के लिए ब्लेक लिस्टेड कर दिया जायेगा।

18. निविदादाता को यथासंभव पूर्व में ही कार्य हेतु दिन व समय बता दिया जायेगा, फिर भी दिन व समय प्रकृति पर निर्भर करेगा जिसके लिए निविदादाता को तुरन्त श्रमिकों की व्यवस्था करनी होगी। निविदादाता द्वारा समय पर कार्य नही किये जाने की स्थिति में जो भी हानि होगी वह निविदादाता को वहन करनी होगी। निविदादाता यदि कृषि कार्य की महत्वता एवं गुणवत्तानुसार कार्य करने में असमर्थ रहता है या कार्य अधूरा छोड़ता है तो केन्द्र उन शेष कार्यों को अपनी जिम्मेदारी से पूर्ण करायेंगे जिसका भुगतान निविदादाता द्वारा जमा अमानत राशि में से किया जायेगा। इस भुगतान की राशि पुनः सात दिनों के अन्दर जमा करानी होगी। इस प्रकार की प्रवृत्ति की यदि तीन बार पुनरावृत्ति होती है तो प्रभारी अधिकारी कृषि अनुसंधान उप केन्द्र तबीजी अजमेर को निविदा निरस्त करने का अधिकार होगा एवं निविदादाता की अमानत राशि भी जब्त कर ली जायेगी।

19. अलग-अलग कार्यों के लिए अलग-अलग फर्मों के न्यूनतम दर प्राप्त होने पर निविदा का विभाजन नही किया जायेगा।कोरोना महामारी (कोविड-19) के मध्येनजर, श्रमिकों की स्वास्थ्य जांच के साथ टीकाकरण, सामाजिक दूरी, मास्क,सेनेटाइजर एवं आवश्यक साधन/सामग्री उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

20. कोरोना महामारी (कोविड-19) के समबन्ध में भारत/राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर जारी होने वाली समस्त दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

21. कृषि कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु केन्द्र द्वारा निर्धारित दर (जो निविदा फार्मो में दर्शाई गई है) से कम प्रस्तुत की गई दरों को स्वीकार नही किया जावेगा।

22. राजस्थान सरकार (वित्त विभाग) द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ. 02(1)/वित्त/एसपीएफसी/2017 जयपुर दिनांक 30.04.2018 के संख्या 01/2018 के अंतर्गत निम्न शर्तें भी जोडी जा रही है:-

i. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 मार्च, 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

ii. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक की उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रुप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ सम्बन्धित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।

iii. संवेदक निविदादाता द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रुप से उनके बैंक खातों में NEFT/RTGS/Online द्वारा ही किया जायेगा। सम्बंधित संवेदक द्वारा

Officer Incharge
Agri.Res.Sub Station
Tabiji, Ajmer

नियोजित श्रमिकों के बैंक में जमा कराई गई राशि का विवरण समबंधित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रुप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई राशि का विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

iv. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर से अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व समबंधित संवेदक का होगा।

v. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय-समय पर वृद्वि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जायेगा।

vi. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों को **नियमानुसार ई.पी.एफ व ई.एस.आई जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ व ई.एस.आई के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिलों का भुगतान किया जायेगा।**

vii. संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्यस्थल पर Display Boards लगाये जायेगे, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु Helpline Number एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नही करने की शिकायत करने सम्बन्धी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रुप से अंकित किया जायेगा।

viii. राज्य में लागू श्रम नियमों के अंतर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ व ई.एस.आई की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।

ix. सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इस सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

x. श्रम विधि के अंतर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अंतर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों,अधिसूचानाओं,दिशा-निर्देशों आदि का पालना नही करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

xi. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपपान संस्था प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 का उचित प्राकर से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

xii. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन छंटनी,मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

Officer Incharge
Agri.Res.Sub Station
Tabiji, Ajmer

xiii. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के सम्बन्ध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके संस्था की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

xiv. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नही किऐ जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है, तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रुप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को Debar कराने की कार्यवाही करेगी।

xv. उपापन संस्था द्वारा संवेदक को कार्य आदेश जारी करने के पश्चात कायदिश की प्रति श्रम विभाग को सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रुप से प्रेषित की जावेगी।

xvi. निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने की पूर्ण अधिकार प्रभारी अधिकारी कृषि अनुसंधान उप केन्द्र तबीजी अजमेर को होगा।

xvii. उपरोक्त शर्तों का अध्ययन कर स्वीकार करने के रुप में निविदादाता के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर एवं मोहर अंकित कर दी है।

<u>विभिन्न कृषि कार्यो हेतु नियम व शर्ते :-</u>

1. सिंचाई कार्य हेतु डीजल इंजन,पम्प,पाइप इत्यादि सामान कार्यालय से गिन कर दिया जायेगा व उस सामान की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
2. इंजन ट्यूबवैल जमाने व चालू करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
3. फार्म के समस्त कार्य फार्म प्रभारी/प्रभारी प्रबंधक के दिशा निर्देशन में ही करने होगें।
4. फार्म प्रबन्धक की मांग के अनुसार कार्य समय पर करना होगा व प्रभारी अधिकारी के सन्तुष्ट होने पर ही कार्य का भुगतान किया जायेगा।
5. विभिन्न फसलों की कटाई के बाद दो तीन दिन खेत में फसल सूखने के उपरान्त खलियानों पर फसल को इकटठा करना होगा। जिसके लिए ट्रेक्टर ट्रोली केन्द्र द्वारा दिये जायेगें।
6. थ्रेसिंग के दौरान ट्रेक्टर मय डीजल श्रमिकों सहित स्वयं ठेकेदार का होगा, थ्रेसिंग के बाद बोरियां भरकर तुलाई कर गोदाम में धांग लगानी होगी। थ्रेसिंग के दौरान न तो दाना टूटना चाहिऐ और न ही दानां भूसा में जाना चाहिए।
7. फार्म की चौकीदारी दिन व रात्रि करनी होगी किसी भी फसल मे नुकसान पाये जाने पर उसकी भरपाई ठेकेदार को करनी होगी।
8. किसी भी कार्य में श्रमिकों को लाने,ले जाने, चाय व पानी पिलाने इत्यादि की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। यदि किसी भी श्रमिक को कार्य के दौरान कोई क्षति होती है तो उसका जिम्मेदार स्वयं ठेकेदार होगा, केन्द्र की कोई जिम्मेदारी नही होगी। ऐसा 500 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर लिखकर देना होगा।
9. केन्द्र के पास उपलब्ध कृषि योग्य भूमि कीं फसल योजना बनाने का अधिकार इस कार्यालय को होगा। किसी भी फसल को घटाया व बढाया जा सकता है।
10. ठेकेदार द्वारा किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने या समय पर कार्य न कराने की स्थिति में कार्य कार्यालय द्वारा करा लिया जायेगा व ठेकेदार के विरुद आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

दिनांक ....

स्थान ....

Officer Incharge
Agri.Res.Sub Station
Tabiji, Ajmer

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर मय स्पष्ट नाम
मय फर्म की रबड मोहर

i. निविदा का खोला जाना–
2:00 बजे तक प्राप्ति तथा निविदा प्रपत्रों को दिनांक
दिनांक 18.07.2024 को दोपहर
19.07.2024 दोपहर 11:30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष RARI Durgapura
Jaipur खोला जाएगा।

ii. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि–
सफल निविदादाता को कायदिश राशि के **3.0** प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति
को (Performance Security) जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंक पे-आर्डर <u>Officer incharge</u>
<u>ARSS Tabiji Ajmer</u> के नाम जो में भुगतान योग्य हो, के माध्यम से जमा करानी
होगी। पूर्व में बोली प्रतिभूति के रुप में जमा राशि समायोजित की जा सकेगी। यह
कार्य सम्पादन प्रतिभूति निविदादाता द्वारा कायदिश में वांछित अवधि समाप्त होने पर
तथा समस्त कार्य संतोषजनक पूर्ण करने पर ही लौटाई जा सकेंगी अन्यथा कि स्थिति
में यह पूर्ण रुप से/ आंशिक जब्त की जा सकेगी।

iii. उत्तरदायित्व–
सेवा सम्पादन के दौरान मैन पॉवर की किसी प्रकार की दुर्घटना या भारत/राजस्थान
में प्रचलित किसी कानून/नियम/अधिनियम/उपनियम के उल्लंघन की स्थिति में सम्पूर्ण
जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। सफल निविदादाता को जिम्मेदार अधिकारी/व्यक्ति का
नाम, पता व मोबाइल नम्बर उपलब्ध करवाना होगा ताकि कार्य सुचारु रुप से हो
सकें।

iv. निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने की शक्तियां–
निविदा को बिना कारण बताए पूर्ण रुप से या आंशिक/रुप से अस्वीकार करने के
सम्पूर्ण अधिकार प्रभारी अधिकारी कृषि अनुसंधान उप केन्द्र तबीजी अजमेर को होगें। यह
अनिवार्य नही की असफल निविदादाता के साथ पत्र व्यवहार कर या उनके पत्र व्यवहार
का जबाब दिया जाए। एक बार निविदा प्रस्तुत कर देने पश्चात् वापस लेने का
अधिकार किसी निविदादाता को नही होगा। पर्याप्त बिड सिक्यूरिटी, निविदा शुल्क के
अभाव में निविदा फार्म रद्द कर दिए जाएगें। निविदा में प्राप्त दरें बातचीत/बिना
बातचीत स्वीकार करने के पूर्ण अधिकार क्रय समिति एवं उपापन अधिकारी को होगें जो
निविदादाता के लिए बाध्यकारी होगें।

v. अनुमानित राशि का आंकलन :–
प्रपत्र 'र' में वर्णित कार्य संख्या अनुमानित है, जिसमें मौके पर कुछ परिवर्तन संभावित
है। उक्तानुसार कार्य की अनुमानित लागत राशि **9.50** लाख है। केन्द्र द्वारा आयकर
स्त्रोत पर काटकर ही राशि का भुगतान किया जाएगा।

vi. दर संविदा अनुबंध की अवधि–
दर संविदा की अवधि एक वर्ष के लिए होगी तथा जो परस्पर सहमति से नियमानुसार
बढाई जा सकती है।

Officer Incharge
Agri.Res.Sub Station
Tabiji, Ajmer

vii. अनुबन्ध पत्र–

सफल निविदादाता को निर्धारित प्रारुप से अनुसार नियमानुसार निर्धारित राशि रु 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर एक अनुबंध पत्र सम्पादित करना होगा जिसका व्यय निविदादाता को वहन करना होगा। दोनों पक्षों को उक्त अनुबंध पत्र की प्रत्येक शर्त का अक्षरशः पालन करना होगा। यदि निविदादाता उक्त शर्तो का उल्लघंन करना है तो अनुबंध पत्र किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जाएगा तथा उक्त कार्य अनुबंन्ध कर्ता की ***Risk and Cost*** पर अन्य व्यक्ति से करा लिया जाएगा। यदि करार के पश्चात् चाही गई मैनपॉवर में किसी प्रकार की बढोतरी/कमी है तो आनुपातिक आधार पर पैकर्स सेवाऍ बढाई/घटाई जा सकती हैं।

viii. भुगतान की शर्तें–

बिल का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा। सफल निविदादाता सेवा प्रदाता को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक बिल प्रस्तुत करना होगा तथा माह की सात तारीख तक गत माह का अग्रिम भुगतान करना होगा। उक्त सेवाओं के बदले फार्म प्रबंधक/प्रभारी द्वारा सेवाओं के संतोषजनक पाये जाने पर मासिक आधार पर भुगतान समेकित रुप से निविदादाता सेवा प्रदाता को **RTGS/NEFT/**चैक द्वारा किया जाएगा।

ix. भुगतान की जिम्मेदारी–

निविदादाता (सेवा प्रदाता) को मासिक आधार पर सेवाओं के संतोषजनक होने पर सेवा प्रदाता फर्म को भुगतान करेगा। अन्य किसी भी तरह की जिम्मेदारी से मुक्त होगा। वर्णित कार्यों के किए जाने वाले भुगतान तथा अन्य किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से मुक्त होगा।

x. मध्यस्थः–

निविदा की किसी भी शर्ते/ शर्तों के संबंध में प्रभारी अधिकारी कृषि अनुसंधान उप केन्द्र तबीजी अजमेर का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

xi. कायदिश का निरस्तीकरण–

प्रभारी अधिकारी कृषि अनुसंधान उप केन्द्र तबीजी अजमेर को किसी भी कायदिश को निरस्तीकरण पेटे बिना कोई भुगतान किए पूर्णःत/आंशिक रुप से निरस्तीकरण के सम्पूर्ण अधिकार होगें लेकिन यह मात्र असामान्य/विशेष परिस्थितियों में ही हो सकेगा।

xii. निविदा शर्तों की स्वीकारोक्ति–

निविदादाता से यह अपेक्षा की जाती है कि यह निविदा भरते समय निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तों पढ/समझ ली है तथा उसे/उन्हें पूर्ण रुप से स्वीकार्य है। अहस्ताक्षरित निविदाऍ निरस्त की जा सकती हैं। भारत/राजस्थान सरकार द्वारा लागू किए गए किसी भी कर/लेवी की वसूली सफल निविदादाता के बिल से कटौती केन्द्र द्वारा की जाएगी।

xiii. निविदा की अन्य शर्तें–

Officer Incharge
Agri.Res.Sub Station
Tabiji, Ajmer

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग-2 के नियम 68 निविदा के लिए निविदा एवं संविदा की शर्तें एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अनुसार लागू होंगी।

xiv. किसी राजकीय विभाग अथवा उपकम द्वारा ब्लेक लिस्टेड फर्म निविदा प्रस्तुत करने के लिए अपात्र मानी जाएगी। यदि ऐसी फर्म इस तथ्य को छिपाते हुए अपनी निविदा प्रस्तुत करती है तो उस फर्म की बोली प्रतिभूति कार्य सम्पादन प्रतिभूति जब्त करते हुए अपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जाएगा।

xv. **वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार–** बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रुप से प्रत्युत्तदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों को सुधार करेगी, अर्थात :-

(क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और मूल्य में सुधार किया जायेगा, यदि इकाई मूल्य में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा।

(ख) यदि योग के घटकों को जोडने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी हे तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा और यदि शब्दों और अंको के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होंगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपयुक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंको में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

xvi. सत्यनिष्ठा संहिता– उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला काई भी व्यक्ति, –

(क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रुप से या अप्रत्यक्ष रुप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नही करेगा।

(ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नही करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्तकरने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।

(ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता,निश्पक्षता और प्रगति को बांधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि बोली में कूट मूल्य वृद्धि का प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नही होगा।

(घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय के दुरुपयोग नही करेगा।

(ड) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से क्षति या नुकसान पहुँचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा।

(च) उपापन प्रक्रिया को किसी भी अन्वेशण या लेखापरीक्षा में बाधा नही डालेगा।

(छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।

Officer Incharge
Agri.Res.Sub Station
Tabiji, Ajmer

(ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य दशा में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियम भंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।

xvii. हित का विरोध –

(1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों का उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रुप से प्रभावित कर सकता हो,

(2) उन स्थितियों में, जिनमें उपापन संस्था के किसी कार्मिक हितों के विरोध में समझे जायेंगे,निम्नलिखित सम्मिलित है, किन्तु उप तक सीमित नहीं है:-

(क) हित का विरोध तब घटित होता है जब उपापन संस्था के किसी कार्मिक का निजी हित, जैसे कि बाहय वृतिक या अन्य संबंध या व्यक्तिगत वित्तीय अस्तियां, उपापन पदाधिकारी के रुप में उसके वृतिक कृत्यों या बाध्यताओं का समुचित पालन करने में हस्तक्षेप करते हों या हस्तक्षेप करते हुए प्रतीत होते हों।

(ख) उपापन परिवेश में उपापन संस्था के किसी कार्मिक का ऐसा निजी हित, जैसे कि उपापन संस्था की सेवा में रहते हुए व्यक्तिगत विनिधान और अस्तियां, राजनैतिक या अन्य बाहय क्रिया कलाप और सम्बन्धताएं, उपापन संस्था की सेवा से सेवानिवृति के पश्चात् नियोजन या उपाहर की प्राप्ति,जो उसे बाध्यता की स्थिति में रखता हों, हित में विरोध उत्पन्न कर सकेगा।

(ग) हित के विरोध में उपापन संस्था की मानवीय, वित्तीय और भौतिक आस्तियों सहित आस्तियों का उपयोग, या व्यक्तिगत फायदे के लिए उपापन संस्था के कार्यालय या पदीय कृतयों से अर्जित ज्ञान का उपयोग, या किसी ऐसे व्यक्ति की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालना सम्मिलित है जिसका उपापन संस्था का कार्मिक पक्ष नहीं लेता है।

(घ) हित का विरोध ऐसी स्थितियों में भी उत्पन्न हो सकता है जहां उपानप संस्था का कार्मिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से, कुटुम्ब मित्रों या किसी ऐसे व्यक्ति जिसका वह पक्ष लेता है, सहित किसी तृतीय पक्षकार को उपापन संस्था के कार्मिकों की कार्रवाईयों या विनिश्चय से फायदा पहुंचाते हुए देखा जाता है या उन्है उसमें सम्मिलित करता है।

(3) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित है किन्तु दन तक सीमित नहीं हैं यदि,-

(क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है।

(ख) वे उनमें से किसी से, काई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है।

(ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।

(घ) उनका प्रत्यक्ष रुप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचाने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो।

(ड) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि,यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नही करता है जो बोली के रुप में अन्यथा भाग नही लेता है।

या

Officer Incharge
Agri.Res.Sub Station
Tabiji, Ajmer

(च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की
विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रुप
में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररुपों में यह
विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य
संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाइन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज
तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप में न तो संबद्ध है और संबद्ध रहा
है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रुप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

xviii. उपापन प्रक्रिया के दौरान शिकायतों का निस्तारण - प्रथम अपील प्राधिकारी
माननीय कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर एवं द्वितीय अपील
प्राधिकारी प्रमुख शासन सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार,
जयपुर अथवा विश्वविद्यालय या राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकारी होगें।

1. अपील - (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 40 के
अध्यधीन रहते हुए, यदि काई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात
से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्यवाही से लोप इस अधिनियम या
इसके अधीन जारी निर्देशों या मार्गदर्शन के उपबंधों के उल्लघंन में है तो वह उपापन
संस्था के ऐसे अधिकारी को जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट
आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रुप से देते हुए, ऐसे विनिश्चय या
कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारीख से दस दिन की अवधि, जो पूर्व-अर्हता
दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्टीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट
की जाये, के भीतर संलग्न प्रारुप में (प्रपत्र-'य') में अपील दाखिल कर सकेगा।

परन्तु बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात अपील केवल उस
बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिससे उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया
है।

परन्तु यह और कि ऐसी दशा में, जहॉ उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलने से
पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है वहॉ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित
अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेंगी, जिसकों तकनीकी
बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

(2) उप-धारा (1) के अधीन की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित
अधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात्
यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए
नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने
वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन
किया है या नही, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो उप-धारा (5) के अधीन
पारित आदेश के अध्याधीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर
बाध्यकारी होगा।

(3) अधिकारी, जिसका समक्ष उप-धारा (1) के अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा
सम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से 30 दिवस के
अन्दर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।

(4) यदि उप-धारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकारी उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि
के भीतर उक्त उप-धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है
या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उप-धारा
(2) के अधीन पारित आदेश से व्यथित है तो बोली लगाने वाला या, यथास्थिति,

Officer Incharge
Agri.Res.Sub Station
Tabiji, Ajmer

उपापन संस्था, उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थित, उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से 15 दिवस के अन्दर राज्य सरकार द्वारा इस निमित पदाभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितीय दाखिल कर सकेगा।

(5) उप-धारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी या प्राधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गये नियमों और मार्गदाक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धनों का पालन किया है या नही, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(6) अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप-धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है यथा-सम्भव शीध्र अपील पर विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा।

परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (4) के अधीन अपहील दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अवधि के भीतर को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह इसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।

(7) अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) और (4) के अधीन दाखिल की जा सकेगी को, पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तोवजों में उपदर्शित किया जाएगा।

(8) उप-धारा (1) और (4) के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्रारुप में और ऐसी रीति से दाखिल होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाऐं।

(9) इस धारा के अधीन अपील की सुनवाई के समय संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रक्रिया-नियमों का अनुसरण करेगा जो विहित किए जाएँ।

(10) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का द्वारा करेगी या जो विधि के प्रवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अडचन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन संस्था के विधि सम्मत वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जाएगी।

1. अपील का प्रारुप -

(1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 की उप-धारा (1) या (4)के अधीन कोई अपील प्रारुप (प्रपत्र - य) में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।

(2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

(3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकरण डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

2. अपील फाइल करने के लिए फीस -

(1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

Officer Incharge
Agri.Res.Sub Station
Tabiji, Ajmer

(2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रुप में किया जावेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

3. **अपील के निपटारे की प्रक्रिया –**

(1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथा स्थिति,द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति,द्वितीय अपील प्राधिकारी,-

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा।

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों को अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

(3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले ये संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति नि:शुल्क उपलब्ध करायेगा।

(4) उपनियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

xix.यदि वाद उत्पन्न होने कि स्थिति बनती है तो उस स्थिति में न्यायलय क्षेत्र अजमेर (राजस्थान) होगा।

Officer Incharge
Agri.Res.Sub Station
Tabiji, Ajmer

प्रभारी अधिकारी
कृषि अनुसंधान उप केन्द्र तबीजी अजमेर

मैंने/हमने उपर्युक्त सभी शर्तो का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लिया है एवं समझ लिया है तथा मैं/हम उपरोक्त सभी शर्तो से प्रतिबन्धित रहूँगा/रहेंगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

Officer Incharge
Agri.Res.Sub Station
Tabiji, Ajmer

प्रपत्र स

वार्षिक टर्न ओवर प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि फर्म मैसर्स.. ....का विगत तीन वित्तीय वर्षों का टर्न ओवर निम्नानुसार है। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रमाण पत्र सत्य व सही है। फर्म की विगत तीन वर्षों की Balance Sheet/Profit and Loss A/Cसंलग्न है क्रं.सं	वित्तीय वर्ष	टर्न ओवर (राशि रु.लाखों में)
1	2021-2022	
2	2022-23	
3	2023-24	
	कुल टर्न ओवर	
	औसत वार्षिक टर्न ओवर	

औसत टर्न ओवर प्रति वर्ष ....

सी.ए. द्वारा प्रमाणित मय UDIN-

दिनांक:

हस्ताक्षर निविदादाता
एवं सील
पंजीकरण संख्या

अंकेक्षक/सनदी लेखाकार का
नाम मय हस्ताक्षर एवं

Officer Incharge
Agri.Res.Sub Station
Tabiji, Ajmer

प्रपत्र द

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने प्लेसमेंट कार्य सेवा/सेवा ईकाई की जहां कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में विगत 3 वर्षों में आपूर्तित सेवा इकाईयों के संतोषप्रद कार्य नही करने होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नही किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते हैं कि हम किसी भी न्यायलय में सेवा प्रदायगी में ***Defaulter*** का कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

Officer Incharge
Agri.Res.Sub Station
Tabiji, Ajmer

प्रपत्र य

FORM NO. 1 [See rule 83 of RTPP]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No.................of.......................

Before the...................................... (First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

    (i) Name of the appellant:

    (ii) Official Address, if any:

    (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent (S):

    (i)

    (ii)

    (iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Ground of appeal:

    ....

    ....

    .... (Supported by an affidavit)

7. Prayer:

    ....

    ....

Place .... Date

....

Appellant's Signature

Officer Incharge
Agri.Res.Sub Station
Tabiji, Ajmer

प्रपत्र र

कृषि अनुसंधान उप केन्द्र तबीजी अजमेर

सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति हेतु वित्तीय निविदा प्रपत्र

क्र. सं.	कार्य की प्रकृति	श्रमिको को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नही होगी मय संख्या		सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPFदर प्रतिशत 13	ESIदर प्रतिशत (3.25%)	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि (प्रतिमाह प्रति श्रमिक)	कुल राशि (5+6+7+8)
		कार्य हेतु आवश्यक मानक के साधन की अनुमानित व संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर प्रतिदिन प्रतिश्रमिक					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कृषि अनुसंधान उप केन्द्र तबीजी अजमेर पर विभिन्न कृषि क्रियाओं के संम्पादन, कृषि प्रायोजित एवं कृषि से संबंधित अन्य सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति हेतु खुली निविदा	अकुशल श्रमिक 2400 श्रमिक	259		33.67	8.41		
2		कुशल श्रमिक 150 श्रमिक	283		36.79	9.19		

निविदादाता के हस्ताक्षर

Officer Incharge
Agri.Res.Sub Station
Tabiji, Ajmer

अतिआवश्यक शर्ते :-

1. श्रमिकों को भुगतान बैंक खाते के माध्यम से किया जायेगा तथा वास्तविक भुगतान की पुष्टि श्रमिक के बैंक खाते के विवरण से भी किया जा सकेगी।
2. प्रतिमाह की गणना 26 दिन के आधार पर की जायेगी।
3. श्रमिकों को नियोजित करते समय उसके पी.एफ. खाते का विवरण उपलब्ध करवाना होगा।
4. श्रमिक के ई.एस.आई में पंजीयन करवाकर प्रथम बिल के साथ संलग्न करना होगा।
5. पी.एफ. की जमा पुष्टि श्रमिक के पी.एफ विवरण से कभी भी की जा सकेगी, यदि पी. एफ. खाते में राशि कम जमा करवाना पाया गया तो कभी भी वसूली की जा सकेगी।
6. सफल निविदाकर्ता द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बंधित चालान की प्रति मूल कार्मिकों की सूची जिनके खातों के अन्य राशि जमा की गई है, प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा, अन्यथा निविदाकर्ता को बिल/बिलों का भुगतान नहीं किया जावेगा जिसका निविदाकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।
7. सफल तकनीकी निविदादाता फर्मों द्वारा सर्विस चार्ज के रुप में शून्य प्रतिफल अथवा ऐसी राशि जो गणना उपरांत भुगतान योग्य राशि नही हो, प्रस्तावित करनें पर शून्य प्रतिफल. मानते हुए **RPPT Act** की धारा 2**(xviii)**के अंतर्गत अमान्य होगी।

(उपर्युक्त तालिका में स्तम्भ संख्या 1-4,6 व 7 की पूर्तियां सम्बन्धित उपापन संस्था द्वारा की जाकर बोली दस्तावेज में ही उपलब्ध कराई जायेंगी तथा शेष स्तम्भ संख्या 5,8 व 9 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां की जा सकेंगी)

1 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

2 राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1982 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रुप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ संबंधित उपापन संस्था का प्रस्तुत की जायेगी।

Officer Incharge
Agri.Res.Sub Station
Tabiji, Ajmer

3 संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रुप से उनके बैंक खातों में ही किया जावेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि का विवरण सम्बन्धित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रुप से प्रस्तुत किया जावेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जावेगा।

श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

नोटः–1.निविदादाता द्वारा निर्धारित प्रपत्र में वित्तीय प्रस्ताव किया जायेगा अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी।

2. यदि कोई फर्म न्यूनतम वेजिज के उपर कुछ भी सर्विस चार्ज नही दर्शाते है, ऐसी फर्म को **Unresponsive** माना जायेगा।

मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि यदि मैं/हम निविदा में दर्शाई गई शर्तों एवं नियम का पालन नहीं करता/करते हैं तो हमारी बिड सिक्यूरिटी पर परफॉरमेन्स सिक्यूरिटी को जब्त कर लिया जाये। मैंने/हमनें निविदा की सभी शर्तों/नियमों को भलीभांति पढ़ लिया है, समझ लिया है तथा उनसे मैं/हम पूर्णयता सहमत हैं।

हस्ताक्षर
पूर्ण पता फर्म की मोहर

Officer Incharge
Agri.Res.Sub Station
...., Ajmer

प्रपत्र ब

कृषि अनुसंधान उप केन्द्र तबीजी अजमेर

कृषि क्रियाओं के संम्पादन हेतु वित्तीय निविदा प्रपत्र

No. F. 29/SKNAU/ARSS/TABIJI-AJM/ 2024/ 102-206 **Date- 10.07.2024**

मैं/ हम निविदा में दर्शाये गये कार्य को पूरा करने के लिये निम्नलिखित दरें प्रस्तुत कर रहें है

क्र0 सं0	कृषि कार्य	संस्थान द्वारा अनुमानित दर	सेवाप्रदाता एजेन्सी/ फर्म द्वारा दी जाने वाली दरें
1	प्रयोगों की बुवाई I. हाथ, हल, द्वारा	3500/- प्रति है.	
2	I. सिंचाई क्यारियों में II. सिंचाई फव्वारों द्वारा	2000/- प्रति सिंचाई है. 1200/- प्रति सिंचाई है.	
3	I. निराई-गुड़ाई सभी फसलों में कुदाली / कस्सी द्वारा	8000/- प्रति है.	
4	बीज उत्पादन फसलों मे रोगिंग का कार्य	1800/- प्रति है.	
5	फसलो की कटाई व ,बंधाई I. गेंहू ,जौ II. दलहनी, तिलहनी व अन्य फसलें रबी, व खरीफ III. बाजरा ,ज्वार (चुटाई)तुडवाई IV. मूंग चॅवला की फलिया तुडाई (दो बार)	7500/- प्रति है. 6500/- प्रति है. 7000/- प्रति है. 7000/- प्रति है.	
6	काटी गई फसलों को थ्रेशिंग से पूर्व इकटठा करने का कार्य	2500/- प्रति है.	
7	प्रयोगो की फसलों की हाथ द्वारा थ्रेशिग एवं सफाई थ्रेशिंग किया हुआ अनाज बोरों में भरकर गोदाम में तोलकर रखना । I. गेंहू ,जौ II. दलहन ग्वार व अन्य III. बाजरा	7000/- प्रति है. 6000/- प्रति है. 6000/- प्रति है.	
8	ट्रैक्टर द्वारा थ्रेसिंग किया व साफ किया गया अनाज बोंरो मे भरकर गोदाम मे तोलकर रखना। I. ट्रैक्टर थ्रेसर श्रमिक ठेकेदार के होंगे II. सिर्फ श्रमिक ठेकेदार के होंगे	7500/- प्रति है. 4000/- प्रति है.	
9	कीटनाशी/ फफूंदीनाशी व अन्य स्प्रे कार्य केवल श्रमिक अवयव की दर I. ट्रैक्टर स्प्रे मशीन द्वारा	700/- प्रति है.	
10	कटाई उपरान्त वर्षा होने पर भीगे हुए पूलों / ढेरियो को पलटने का कार्य	500/- प्रति है.	
11	खडी फसल मे हाथ से खरपतवार उखाडने का कार्य	5000/- प्रति है.	
12	रखवाली (एक बिन्दू पर)	259/-प्रति श्रमिक प्रति दिन	
13	कार्यालय सफाई	1500/-प्रति महिना	
14	अन्य कार्य 1. अकुशल श्रमिक 2. कुशल श्रमिक	259/-प्रति श्रमिक प्रति दिन 283/-प्रति श्रमिक प्रति दिन	

निविदादाता के हस्ताक्षर

प्रभारी अधिकारी
कृषि अनुसंधान उप केन्द्र

Officer Incharge
Agri.Res.Sub Station
Tabiji, Ajmer